

**प्रेस-विज्ञप्ति**  
**थाना सिधारी**

**अवैध तीन कि0ग्रा0 गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अवैध गांजा/शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के निर्देशन में उ0नि0 हरिश्चन्द्र प्रसाद मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में भ्रमणशील होकर ग्राम भदुली बाजार पर मामूर था कि उसी समय मुखबिर खास आकर सूचना दिये कि साहब आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बेचने के लिये आ रहा है तत्पश्चात हमराहीगणों को तलब कर भदुली पुल जिन्नाद बाबा स्थान पर दीवाल का आड़ लेकर खड़े हो गये तभी एक व्यक्ति सफेद छोले में लेकर कुछ आ रहा था हम लोग जैसे ही सामने आये कि हम लोगों को देखकर घबड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा तभी हम लोग पकड़ लिये पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शनि उपाध्याय S/O संजय उपाध्याय सा0 सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया , प्लास्टिक के झोले के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब इसमें गांजा है। इसी को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। झोले में लिये हुये गांजा की तलाशी हेतु सक्षम अधिकारी / मजिस्ट्रेट के समक्ष चलने को कहा गया तो बताया कि साहब आप लोग हमें पकड़ ही लिए हैं तो आप लोग ही हमारी तलाशी ले लीजिये झोले का मुँह खोलकर सुंघा गया व सुंघाया गया तो गांजा जैसी बू आ रही थी गांजा को रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा , कि उक्त का यह अपराध धारा 8/20 N.D.P.S एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 13.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण** – गिरफ्तार अभियुक्त शनि उपाध्याय ने बताया कि साहब गांजा बेचकर परिवार का पालन पोषण करता हूँ गलती हो गई माफ कर दीजिये अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा।

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु0अ0स0 21/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिधारी आजमगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़

**बरामदगी**

1- तीन कि0ग्रा0 गांजा

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1. शनि उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय सा0 सेहदा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष गिरफ्तार

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण**

1. प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़

2. उ0नि0 हरिश्चन्द्र प्रसाद थाना सिधारी आजमगढ़

3. हे0का0 विनोद दुबे थाना सिधारी आजमगढ़

4. का0 अश्वनी यादव थाना सिधारी आजमगढ़।